

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2025/482/18

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत गणित के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

गणित अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. शेषमणि शुक्ला विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शास. माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
	2.	डॉ. डी.के. सिंह, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर(म०प्र०)
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. विनोद कुमार प्रजापति विभागाध्यक्ष, गणित विभाग एस.जी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)
	2.	डॉ. नीरजा सचान, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)
28(2) पाँच	1.	डॉ. ऋषि कुमार तिवारी प्राध्यापक, गणित विभाग शास. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. श्रवण कुमार पाण्डेय सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. शेषमणि शुक्ला को गणित अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

